संख्या : 1739 / 8-3-2011-89विविध / 11

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास
परिषद,उ0प्र0,लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 10 मई,2011

विषयः– प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स के कार्यान्वयन में अपेक्षित सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय विकास/निर्माण हेतु शासन द्वारा हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति संचालित की गयी है जिनके अन्तर्गत विकासकर्ता कम्पनियों की प्रोत्साहन स्वरूप कतिपय रियायतें दी गई हैं। रियायतों के साथ–साथ विकासकर्ताओं से कुछ दायित्वों के निर्वहन भी अपेक्षित हैं। विकासकर्ताओं से कुछ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन भी अपेक्षित हैं। कतिपय विकासकर्ताओं द्वारा उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत दुर्बल/अल्प आयं वर्ग हेतु भवनों/भूखण्डों एवं सामुदायिक सुविधाओं का विकास परियोजना के अन्य विकास कार्यो की भौतिक प्रगति के अनुपात में न होने का तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद परियोजनाओं के लिए तलपट मानिचत्र स्वीकृत के समय यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक ले–आउट में दुर्बल/अल्प आय वर्ग हेतु भवनों /भूखण्डों एवं सामुदायिक सुविधाओं का विकास भी परियोजना के अन्य विकास कार्यो की भौतिक प्रगति के अनुपात में हो। परियोजना के ले–आउट प्लान में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि दुर्बल/अल्प आय वर्ग के भवनों/भूखण्डों तथा सामुदायिक सुविधाओं के स्थल ले–आउट प्लान में अवश्य ही ऐसे स्थलों पर प्रस्तावित किये जाय जिनका स्वामित्व निर्विवाद रूप से उपलब्ध हो।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय
आलोक
(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशासी निदेशक,आवास बन्धु,उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
3. अपर निदेशक,नियोजन,आवास बन्धु,उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा, से,
(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव